(F) Haryana

Founded on 31.10.1920 Founder President, Lala Lajpat Rai

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस
All India Trade Union Congress

President : Ramendra Kumar
Working President : H.Mahadevan
General Secretary : Gurudas Das Gupta, M.P.

Dated 28.4.2014

The Labour Commissioner,
Govt. of Haryana,
30 Bays Building, Sector 17,
Chandigarh.

Sub: Request for intervention for resolving industrial disputes with respect to the managements of M/s Munjal Kiriu Industries Pvt. Ltd. and M/s Senior India Manesar and their workmen

Dear L.C.,

We are thankful for your active intervention for resolving the long pending dispute of workmen of three units of M/s Nipon Auto & Electronics Ltd. Gurgaon. With signing of the settlement on 3rd April, 2014, the normalcy was restored. We wish to further seek your intervention in the matter of implementation of the settlement arrived between the management of Munjal Kiriu, Manesar pertaining to pending inquiries in the matter of 15 workers. In the settlement under 12(3) of the Industrial Disptues Act, it was agreed that enquiry process against 15 workers will be completed in 40 days and concerned workers will be taken back on duty. More than 110 days have passed but enquiry proceedings have not been concluded. The resulting delay is causing disquiet amongst the workers. The Additional Labour Commissioner (NCR) and the Circle DLC have been informed about the delay by the union and Gurgaon AITUC but no positive action has been taken.

Similarly in the case of Senior India, Manesar, the management instead of resolving the issue of suspended workers, terminated their services and did not take any initiative for settling the demands. Unrest also prevails in the unit.

It is under these circumstances that we are requesting for your intervention in the matter.

Thanking you,

Yours sincerely,
(D.L. Sachdev)
Secretary

AITUC BHAWAN
35-36, D.D.U. Marg, Rouse Avenue,
New Delhi-110002

Telephones : 91-11-23217320
91-11-23220264
Fax : 91-11-23222427

ला 23.5.14

KIRIU EMPLOYEES UNION(REGD. 1953)

V.P.O. Mokalwas Distt. Gurgaon(HR.) 122413

सेवा में,

दिनांक : 22-04-2014

मानवीय श्रम आयुक्त हरियाणा

30 वेज विल्डिंग श्रम विभाग

सैक्टर–17बी चण्डीगढ़।

विषय :– **मैसर्स मुन्जाल किरियू इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, प्लाट नं0–192, सै0–4ए फेस–द्वितीय, आई0एम0टी0 मानेसर, गुड़गाँव के प्रबन्धको द्वारा समझौते की पालना ना करने संस्थान में बड़े पैमाने पर जारी अनुचित श्रम व्यवहार नीति गैर कानूनी, ठेकेदारी प्रथा एवं प्रबन्धकों की श्रमिकों पर जारी दमनात्मक कार्यवाही के सन्दर्भ में।**

मान्यवर महोदय,

सादर व विनम्र निवेदन है :

1. यह कि उपरोक्त संस्थान में लगभग 650 श्रमिक कार्य करते है प्रबन्धक कम्पनी की स्थापना समय से ही अनुचित श्रम नीति व गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त है और प्रबन्धक संस्थान में किसी भी प्रकार का श्रम कानून नहीं लागू करते है।

2. यह कि प्रबन्धकों की उपरोक्त प्रक्रिया को रोकने के लिए संस्थान के श्रमिकों ने संगठित होकर अपना संगठन बनाया जिसका पंजीकरण कराया गया जिसका पंजीकरण नं0 1953 है।

3. यह कि जब प्रबन्धकों को यूनियन गठन के बारे में पता चला तो बदले की भावना से संस्थान में श्रमिक विरोधी कार्य को तेज कर दिया।

4. यह कि पिछले एक वर्ष से प्रबन्धकों द्वारा किये जा रहे अत्याचारों, ज्यादतीयों व मजदूर विरोधी कार्यवाहियों श्रम कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए मजदूरों को नौकरी से निकालना, झूठी चार्जशीट देना अनेक मजदूर विरोधी कारणों से मजदूरों को नर्कीय जीवन जीने पर मजबूर किया जा रहा है।

5. यह कि प्रबन्धकों द्वारा बार–बार कार्यरत श्रमिकों को नौकरी से निकाला जा रहा था जिसको लेकर श्रमिकों में भारी रोष था, जिसको लेकर 18 दिसम्बर 2013 को संस्था के सभी श्रमिक धरने पर बैठ गये थे और दिनांक 15.01.2014 को श्रीमान् अतिरिक्त श्रम आयुक्त एन0सी0आर0 गुड़गाँव की अध्यक्षता में एक औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 12(3) के अन्तर्गत एक त्रिपक्षीय समझौता सम्पन्न हुआ जिसकी श्रमिकों द्वारा पूरी तरह पालना की गयी है लेकिन् प्रबन्धकों ने समझौते की जानबूझकर पालना नहीं की है।

6. यह कि प्रबन्धकों द्वारा समझौता दिनांक 15.01.2014 की पालना न करने बारे तथा हर मजदूर विरोधी कार्यवाही की शिकायत यूनियन

के पदाधिकारियों ने समय–समय पर श्रम विभाग गुड़गाँव के अधिकारियों को तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को दी है। लेकिन श्रम विभाग अभी तक प्रबन्धकों द्वारा की जा रही दमनात्मक कार्यवाही पर कोई रोक नहीं लगवा सका है ना ही समझौता को लागू करवाया ना ही श्रम विभाग द्वारा उचित कार्यवाही अमल में लायी गई।

7. यह कि अब प्रबन्धकों की तानाशाही व गुण्डा गर्दी हद से ज्यादा बढ़ गई है मजदूरों की किसी ने अब तक सुनवाई नहीं की और प्रबन्धकों ने खुलकर मजदूरों का शोषण, अत्याचार घरेलू जाँच करवाना गैर कानूनी तरीके से सैलरी से कटौती करना जानबूझ कर गेट रोकना, नौकरी से निकालना लगातार जारी है। प्रबन्धक विवाद को बातचीत के माध्यम से सुलझाने की बजाय अडियल रूख अपनाकर मजदूरों पर दमनात्मक कार्यवाही में लिप्त है। इसी वजह से अभी तक कोई समाधान ना हो सका है प्रबन्धकों द्वारा खुलकर ठेकेदार के श्रमिकों से स्थायी कार्य करवाया जा रहा है जिन पर कोई श्रम कानून लागू नहीं है।

8. यह कि उपरोक्त सभी बातो को लेकर मजदूर में भारी रोष बढ़ता जा रहा है और किसी भी समय कोई भी आन्दोलन का कदम

NJAL KIRIU EMPLOYEES UNION(REGD. 1953)

V.P.O. Mokalwas Distt. Gurgaon(HR.) 122413

उठाया जा सकता है जिसकी पूर्ण रुप से प्रबन्धक व श्रम विभाग जिम्मेदार होगा।

अतः आपसे प्रार्थना है कि विवाद का समाधान करवाया जाये श्रम कानूनों को लागू करवाया जाये समझौता दिनांक 15.01.2014 की पालना करवाई जाये, यूनियन पदाधिकारी सुरेन्द्र कुमार सहित सभी श्रमिकों को ड्यूटी पर भिजवाया जाये, जिससे की संस्थान व औद्योगिक क्षेत्र में शान्ति का माहौल रहे।

धन्यवाद सहित!

प्रतिलिपि :–

1. माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार।
2. माननीय श्रम मंत्री हरियाणा सरकार।
3. माननीय मुख्यसचिव हरियाणा सरकार।
4. श्रम सचिव हरियाणा सरकार।
5. कामरेड गुरूदास दास गुप्ता (राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद लोकसभा)

को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

निवेदक

President
Munjal Kiriu Employees Union
V.P.O. Mokalwas, Distt.-Gurgaon
Rakesh
प्रधान
(राकेश यादव)

General Secretary
Munjal Kiriu Employees Union
V.P.O.- Mokalwas, Distt.-Gurgaon
A Singh
महासचिव
(अविशेष कुमार सिंह)